



उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी
DEPUTY COMMISSIONER OFFICE,
REWARI

2

प्रेषक

जिलाधीश, रेवाड़ी।

प्रेषित

कार्यकारी अभियन्ता,
सिचाई विभाग, रेवाड़ी। (प्रभारी कैनाल रेस्ट हाउस)

क्रमांक

/विविध शाखा

दिनांक

विषय:-

कैनाल रेस्ट हाउस आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव एवं राहत के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस सम्भावित मरीजों के ईलाज के लिए कैनाल रेस्ट हाउस रेवाड़ी में आईसोलेशन वार्ड दिनांक 05.03.2020 से आगामी आदेश तक स्थापित किया जाये।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि सम्पूर्ण कैनाल रेस्ट हाउस रेवाड़ी को आईसोलेशन वार्ड के लिए आरक्षित रखते हुए सिविल सर्जन रेवाड़ी को सुपर्द करे। इसके अतिरिक्त कैनाल रेस्ट हाउस में पानी, बिजली (जनरेटर सहित) व अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

04/03/2020
कृते: जिलाधीश, रेवाड़ी।
4-3-20

पू0क्रमांक

3092-93

/विविध शाखा

दिनांक 4-3-20

इसकी एक प्रति सिविल सर्जन रेवाड़ी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे कैनाल रेस्ट हाउस रेवाड़ी को अपनी सुपर्दगी में लेकर कोरोना वायरस सम्भावित मरीजों के ईलाज के लिए आईसोलेशन वार्ड मैडिकल टीम आवश्यक दवाएं व अन्य सुविधाओं सहित स्थापित करना सुनिश्चित करे।

04/03/2020
कृते: जिलाधीश, रेवाड़ी।
4-3-20